

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

179690-994


क्रमांक:-प 20आ.का.को/लेखा/आई.सी.डी.एस./2019/
बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

जयपुर, दिनांक
21/9/2022

विषय:- सामूहिक बचत एवं बीमा योजना से लाभान्वित मानदेयकर्मियों के प्राप्त क्लेम के भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामूहिक बचत एवं बीमा योजना अंतर्गत प्रायः यह देखा गया है कि लाभान्वित मानदेयकर्मियों की मृत्यु होने या सेवा से विमुक्त होने पर उनके द्वारा जमा कराई गई राशि एवं बीमा राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं के अधीन मानदेयकर्मियों जो सेवा से विमुक्त हो गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है, के सामूहिक बचत एवं बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम फार्म भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को सम्पूर्ण दस्तावेज सहित प्रेषित कर भुगतान की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

179995-180026

क्रमांक:-प 20आ.का.को/लेखा/आई.सी.डी.एस./2019/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक
21/9/2022

1. उप निदेशक समस्त को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन परियोजना कार्यालयों से उक्त कार्यवाही समय पर किया जाना सुनिश्चित करावें।



वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।